

381
11.2.18

संख्या : /XVII-1/2018-06(घोषणा) / 2004 वित्तीय स्वीकृति

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, दिनांक 19 जनवरी, 2018.

विषय: राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय, बिन्सौण, जनपद-देहरादून के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय, बिन्सौण जनपद देहरादून के भवन निर्माण हेतु कुल धनराशि रू० 568.49 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक शासनादेश संख्या-1538/XVII-1/2005-06(घोषणा)/2004 दिनांक 15.10.2005 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू० 100.00 लाख, शासनादेश संख्या-298/XVII-1/2009-06(घोषणा)/2004 दिनांक 20.03.2009 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू० 53.50 लाख तथा शासनादेश संख्या-465/XVII-1/2016-06(घोषणा)/2004 दिनांक 30.03.2015 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्रांक-3291/ज.जा.क./आ.प.वि. बि./भवन निर्माण/2016-17, दिनांक 16.06.2017 तथा पत्रांक-6964/ ज.जा.क./आ.प.वि.बि./अवस्थापना सु./2017-18, दिनांक 12.12.2017 में अब मांगी जा रही धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न अलॉटमेंट आई.टी. संख्या-S1804310290 दिनांक 19.01.2018 के अनुसार रूपये 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (I) शासनादेश संख्या-465/XVII-1/2016-06(घोषणा)/2004 दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (II) उक्तनुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि से विद्यालय के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाएगा।
- (III) उक्त धनराशि के उपभोग प्रमाणपत्र के साथ यह भी सूचना उपलब्ध कराई जाए कि शासनादेश संख्या-465/XVII-1/2016-06(घोषणा)/2004, दिनांक 30.03.2015 द्वारा स्वीकृत आगणन रूपये 568.49 लाख में सम्मिलित आवासीय भवन तथा विद्यालय भवन की कुल लागत पृथक-पृथक कितनी है।

- (IV) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- (V) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008, संशोधित नियमावली-2017 वित्तीय नियम संग्रह, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की "अनुदान संख्या-31" के लेखाशीर्षक "4225-02-277-06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण की मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-41 (1)/XVII-1/2018-06(घोषणा) 2004, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. एन.आई.सी० सचिवालय परिसर देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

पत्र संख्या - 47 /xvii-1/06()2004

अलोटमेंट आई डी - S1801310290

अनुदान संख्या - 031

आवंटन पत्र दिनांक -19-Jan-2018

HOD Name - Director Tribal Welfare (4706)

- 1: लेखा शीर्षक 4225 - अनुसूचित जातियों /जनजातियों तथा अन्य पिछड़े व 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
277 - शिक्षा
06 - राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण
00 - राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	3600000	10000000	13600000
	3600000	10000000	13600000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

10000000